

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०.....
(प्रति की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग- 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०.....

- | | |
|---|--|
| 7. योजना/स्कीन का स्थान | राष्ट्रीय राज मार्ग सं०-330 फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग के कि०मी० 12.500 से कि०मी० 12.630 के मध्य टोल प्लाजा निर्माण कार्य ग्राम-मदरसा टाउन बाहर, तहसील-सोहावल, जिला-फैजाबाद। |
| (1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र | : उत्तर प्रदेश |
| (2) जिला | : फैजाबाद |
| (3) वन प्रकार | : सामाजिक वानिकी वन प्रकार, फैजाबाद |
| (4) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र ह० में | : 0.840 हे० |
| (5) वन की कानूनी स्थिति | : संरक्षित वन भूमि पर स्वच्छिन्न एन०एच०आई० विभाग का है |
| (6) हरियाली का घनत्व | : 0.55 |
| (7) प्रजातियों व वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किए जाए। | : 201 वृक्ष सूची संलग्न है। |
| (8) मूल्यांकन के लिए वन क्षेत्र की सर्वेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | : भूमि का टेरेन समतल होने तथा वनस्पति से अच्छादित होने के कारण मूल्यांकन हेतु सर्वेदनशील नहीं है। |
| (9) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा भी अनुमानित दूरी | : राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की भूमि संरक्षित वन भूमि घोषित है प्रस्तावित भूमि संरक्षित भूमि से लगी है। |
| (10) 10 कि०मी० परिधि में फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व हाथी कारीकोर आदि का भाग है यदि हाँ क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डन की टिप्पणियाँ आनुबधित की जाए। | नहीं |
| (11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिकृत की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें। | नहीं |
| (12) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनुरोधित प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। | नहीं |
| 8- प्रयोजन एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाये गए विकल्पों के ब्योरा के साथ मदवार संसृति क्षेत्र क्या है। | न्यूनतम है। |
| 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अपेक्षित दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्यवाही ब्योरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | नहीं |

10- प्रतिपूरक वनकरण स्कीम का ब्यौरा-

- (1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ - संलग्न है।
अधिकृत वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी नू खण्डों की संख्या प्रत्येक नू खण्ड का आकार।
- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अधिकृत वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है।
- (3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनकरण - संलग्न है।
स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत दाया आदि।
- (4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परियोजना - ₹०
- (5) प्रतिपूरक वनकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता - संलग्न है।
के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विसेषतः : संलग्न है।
उपर्युक्त कालम 7 (6,12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- विभाग जिला प्रोफाइल


- (1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र - 2846.20 वर्ग किलोमीटर
- (2) जिले का वन क्षेत्र - 3846.202 हेक्टर
- (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया कुल वन क्षेत्र : 22 मामले 88.332 हेक्टर
- (4) 1980 से जिला प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण :
- (क) दण्ड के रूप में वनकरण सहित वन भूमि : रिक्त
- (ख) वनेत्तर भूमि पूरक : रिक्त
- (5) अबतक प्रतिपूरक वनकरण में हुई प्रगति :
- (क) वन भूमि पर : 88.32 हेक्टर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर : रिक्त

13- प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

: संरक्षित वन भूमि को वैर वानिकी प्रयोग हेतु टोल प्लाजा निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

दिनांक-17-1-2017

स्थान- फैजाबाद



(रवि कुमार सिंह)
प्रभारिता वनसंरक्षक
वन विभाग, फैजाबाद